वासुदेव

बनाम

परविंदर कुमार वगेरह

(आपराधिक अपील संख्या 1263/2008)

12 अगस्त, 2008

(डॉ. अरिजीत पासायत और डॉ. मुकुंदकम शर्मा, जेजे)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 91: प्रत्यर्थियों पर जालसाजी का आरोप लगाते हुए अपीलार्थी द्वारा याचिका दायर करना- निचली अदालत द्वारा निर्देश के साथ निपटाया गया- अपीलार्थी द्वारा दायर एक अन्य आवेदन को निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था- चुनौती- उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था क्योंकि प्रत्यर्थियों के वकील द्वारा तर्क दिया गया था कि एफ़. आई. आर. को रद्द कर दिया गया है- शुद्धता- अभिनिर्धारित किया गया: गलत- एफ़. आई. आर. को रद्द करने का कोई आदेश यदि था लेकिन इसे रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है- राज्य को आदेश की एक प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया-

उच्च न्यायालय के समक्ष यदि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, तो इस आधार पर याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता कि दर्ज प्राथमिकी ही खारिज कर दी गई हैं और उच्च न्यायालय मामला नए सिरे से सुने।

1. अपीलार्थी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन दायर किया था जिसमे प्रतिवादी 1 तथा 3 के पिता पर आरोप लगाया कि वे लोग उसकी माता के जाली हस्ताक्षर करके उनके बैंक खाते से धोखाधड़ी से पैसे निकालते थे और इस संबध

में प्राथमिकी संख्या 61 दिनांक 13.3.2002 दर्ज की गई थी, और उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 91 के संदर्भ में आदेश की प्रार्थना की थी।

निचली अदालत ने कुछ निर्देशों के साथ आवेदन का निपटारा कर दिया। इसके बाद, अपीलार्थी द्वारा एक और आवेदन दायर किया गया, जिसका निपटान पूर्व आदेश में दिए गए निर्देश के अनुसार किया गया था। निचली अदालत के आदेश से व्यथित होने पर अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष सवाल उठाया। उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील दाखिल की गई है।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि आज तक प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश पेश नहीं किया गया हैं। इस न्यायालय के समक्ष भी एफ. आई. आर. प्रस्तुत नहीं की गई है।

1.1 चूंकि अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका को राज्य के वकील और अभियुक्त द्वारा दिए गए सुझाव के प्राथमिकी खारिज कर दी गई हैं, तो यह स्वाभाविक था कि उस संबंध में कुछ आदेश होना चाहिए। परंतु ऐसा कोई आदेश रिकॉर्ड पर नहीं हैं। यह समझ में नही आया है कि यदि ऐसा कोई आदेश हैं तो उसे अब तक रिकॉर्ड पर पेश क्यों नही किया गया हैं। और ऐसे आदेश के रिकॉर्ड पर नहीं होते हुए दायर याचिका को निपटाना सही नही कहा जा सकता हैं। (पैरा-7) [26, एफ-जी]

1.2 राज्य के वकील को निर्देश दिया जाता है कि एफ. आई. आर. संख्या 61 को खारिज करने वाले आदेश की प्रति उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। (पैरा-8) [26, जी-एच]

1.3 यदि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, तो उच्च न्यायालय इस मामले नए सिरे से सुनवाई करेगी। आदेश दिनांकित 13.1.2006 और आपराधिक

विविध में आदेश कैशन 22330/2006 दिनांकित 28.4.2006 को रद्द किया जाता हैं। (पैरा-9) [27, ए]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 1263/200:

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय आपराधिक विविध सं. 29019-एम/ 2005 के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 28.4.2006 से

अपीलार्थी के लिए नंद लाल और के. एल. तनेजा।

प्रतिवादियों के लिए प्रदीप सिंह, आर. के. पांडे, टी. पी. मिश्रा, एच. एस. संधू और अजय शर्मा।

आदेश न्यायाधिपति श्री डॉ. अरिजीत पासायत जे. द्वारा दिया गया।

1. याचिका स्वीकार की गई।

2. 22300/2006 आपराधिक विविध संख्या 29019/2005 में दायर किया गया

3. तथ्यात्मक पहलुओं का संक्षिप्त संदर्भ आवश्यक होगा:-

अपीलार्थी ने मामला संख्या 29019-M/2005 में संभागीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट राजपुरा द्वारा पारित आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए आपराधिक विविध याचिका दायर की थी जिसमे एक कथित उपहार विलेख के संबंध मे धोखाधड़ी से निष्पादित किया जाने पर पीएस राजपुरा सिटी, की प्राथमिकी संख्या 23/25.1.2001।

अपीलार्थी ने यह आरोप लगाते हुए आवेदन दायर किया था कि लछमन दास, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता धोखाधड़ी करके अपनी माँ के बैंक खाते से धीरे-धीरे राशि निकालते थे जिसमे वे किशनी बाई के जाली हस्ताक्षर करते थे और एफ़. आई. आर. संख्या 61 मे एस. डी. जे. एम., राजपुरा द्वारा दिनांकित 3.5.2004 का आदेश पारित किया गया था। उसके बाद, धारा 91 सी.आर.पी.सी. के संदर्भ में एक और

आवेदन दायर किया गया था, जिसका निस्तारण दिनांक 4.5.2005 के आदेश द्वारा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पहले के आदेश, दिनांक 3.5.2004 को देखते हुए आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। पंजाब और हरयाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.1.2006 के आदेश उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश के साथ मामले को रद्द कर दियाः

> "राज्य और अभियुक्त के विद्वान वकील का कहना है कि एफ़. आई. आर. संख्या 61 पहले ही रद्द हो चुकी है और किसी भी मामले में दस्तावेज़ अदालत में उपलब्ध थे, जिनकी अदालत में पहले जाँच की गई। राज्य के विद्वान वकील ने कहा है कि राज्य को अब दस्तावेज़ अदालत से लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उपरोक्त को देखते हुए, हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है। विवादित क्रम में याचिका खारिज कर दी जाती है।"

एक प्रार्थना पत्र उस आदेश को वापस लेने के लिए पेश किया गया था जिसमे प्राथमिकी को खारिज करने के कोई आधार नहीं थे। उक्त को विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के कथनों के आधार पर निस्तारित कर दिया गया। अपीलार्थी का कथन है की ऐसा कोई आदेश जिसमे प्राथमिकी को रद्द किया हो, पारित नहीं किया गया है।

4. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अब तक तथाकथित आदेश, जिसमे प्राथमिकी को रद्द कर दिया है, वह देखा नही गया है। यहां तक कि उक्त आदेश इस न्यायालय के समक्ष भी पेश नहीं किया गया है।

5. यह भी बताया गया है कि ऐसा कोई आदेश दिया गया था तो पारित होने पर, सूचना देने वाले को अधिसूचित किया जाना आवश्यक था ताकि अदालत के समक्ष परीक्षण याचिका दायर की जा सके।

6. राज्य के विद्वान वकील और अभियुक्त व्यक्तियों ने कथन किया कि अपीलार्थी का स्पष्ट उद्देश्य कार्यवाहियों को लंबा खींचना है। हालाँकि, यह उचित रूप से स्वीकार किया जाता है कि इस प्रकार एफ़. आई. आर. के रद्द किए जाने को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है।

7. चूँकि अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के विद्वान वकील और अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयान के आधार पर खारिज कर दी गई थी। जिसमे उन्होंने उच्च न्यायालय को कहा कि प्राथमिकी खारिज कर दी गई है। यह अभी तक समझ में नहीं आया है कि उस आदेश को रिकॉर्ड पर क्यों नहीं लाया गया है। यदि ऐसा कोई आदेश मौजूद नहीं है, तो स्पष्ट रूप से अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका का निस्तारण इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि प्राथमिकी रद्द कर दी गई है।

8. उपरोक्त परिस्थितियों में, हम राज्य के विद्वान अधिवक्ता को उच्च न्यायालय के समक्ष उस आदेश की एक प्रति जो एफ. आई. आर. संख्या 61 को रद्द करने के लिए अभिप्रेत है, को प्रस्तुत करने के लिए आदेशित करते है, जिसकी अवधि आज से चार सप्ताह के भीतर है।

9. यदि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, तो उच्च न्यायालय मामले की नए सिरे से सुनवाई करेगा। 13.1.2006 दिनांकित आदेश द्वारा अस्वीकृति का आदेश और आपराधिक विविध 22330/2006 दिनांकित 28.4.2006 में पारित आदेश रद्द कर किया जाता हैं। यदि उपरोक्त आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाता है तो वह उसे संबंधित निचली अदालत के समक्ष विचार के लिए रखने का निर्देश देगा।। यह कहना अनावश्यक हैं कि सूचना देने वाले को कानून में दी गई कार्यवाही करने की स्वतंत्रता हैं।

10. अपील का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

अपील का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक न्यायाधिकारी श्रीमति प्रियंका पुरोहित, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।